REVIEW OF RESEARCH

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम स्वराज हेतु किये गये प्रयास एवं चुनौतियाँ

तेजराम सिंह

अंशकालिक प्रवक्ता राजनीति विज्ञान विभाग, झम्मन लाल पी. जी. कालेज,हसनपुर, अमरोहा, उ0प्र0

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

सारांश

वर्तमान में विश्व संगठनों द्वारा स्थायी विश्व शान्ति की सम्भावनाऐं तलाशी जा रही हैं जो दिवास्वप्न जैसी हैं। यदि हम चिरस्थायी शान्ति चाहते हैं तो बल के प्रयोग का हमे सर्वथा अन्त करना होगा। केवल नैतिक पृष्ठभूमि वाली विश्व सरकार ही स्थायी शांति को निश्चित बना सकती है। स्थायी विश्व शान्ति के लिए वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार करके छोटे–छोटे विकेन्द्रित घटकों की रचना करनी होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन सिद्धान्तों तथा आदर्शों का समावेश है उसमें ग्राम स्वराज की झलक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा बंधुता जैसी अवधारणाऐं ग्राम स्वराज का आधार हैं। ग्राम स्वराज ऐसी सरल ग्राम व्यवस्था है जिसका केन्द्र मनुष्य है जो शोषण–रहित और विकेन्द्रित है। भारत में पंचायत राज की स्थापना स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है अर्थात ग्राम स्वराज की संकल्पना ही विश्व में स्थायी शांति को निश्चित बना सकती है।

बीज शब्द – राष्ट्रीयता, बंधुता, जातिवाद, अलगाववाद, विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण स्वशासन.

प्रस्तावना

गाँधी इस बात पर जोर देते थे कि भारत के गाँवों मे ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवन प्रदान करके देश में ग्राम–स्वराज्य की स्थापना की जाए। इसी सन्दर्भ में आज हम राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के आधार पर भारत में पंचायत राज की स्थापना का प्रयत्न कर रहे है। भारतीय संविधान में पंचायत व्यवस्था कर ग्रामों को हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं। भारत और विश्व की आर्थिक रचना ऐसी होनी चाहिये कि किसी मनुष्य को भोजन और वस्त्र का अभाव ना हो। गाँधी का मानना था कि देश के हर नागरिक को पूरा काम देने वाली अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिये हमें औद्योगिकरण तथा यंत्रीकरण का त्याग करना पड़ेगा। वे कहते थे कि भावी विश्व व्यवस्था का स्थिर विकास गाँवों पर निर्भर करता है। अतः ग्राम स्वराज में जो संभावनाऐं और शक्तियाँ निहित हैं, उसके द्वारा सारे विश्व की सेवा की जा सकती है।[1]

गाँधी राजनीतिज्ञों को जनता का सेवक मानते थे। गाँधी राजनीति के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करना चाहते थे। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो हमारे नीति–निर्माताओं ने ब्रिटेन की तर्ज पर ही अपने देश में भी संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया। उस समय तत्कालीन व्यवस्था के रूप में गाँधी ने भी संसदीय प्रजातंत्र की जरूरत को स्वीकार किया था। यह बात अलग है उन्होंने अपनी कालजयी कृति हिन्द स्वराज्य में ब्रिटेन पार्लियामेंट को बाँझ और वेश्या तक कह डाला था।[2] वर्तमान भारत में प्रजातंत्र सभी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके जरिए सुस्थिर विकास एवं स्वशासन के लक्ष्यों को भी पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी भारतीय संविधान में ग्राम–स्वराज हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं–

भारतीय संविधान में ग्राम–स्वराज

प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है भारतीय संविधान के पीछे जो दर्शन है उसके लिये हम पंडित जवाहर लाल नेहरू के उस ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अंगीकार किया था, के प्रभाव का मान सकते हैं। नेहरू के इस संकल्प में गाँधी दर्शन के तत्व स्पष्ट दिखते हैं। इस उद्देश्य संकल्प में लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सिवाय भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य की स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त की गई है। इस संकल्प में अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े हुए वर्गों के हितो का संरक्षण निहित है। भारत का विश्व में गौरवपूर्ण स्थान, विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिये सहयोग की भावना इसका लक्ष्य है।[33] संविधान सभा में प्रस्तुत इस संकल्प का आधार गाँधी दर्शन है।[3]

संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में जिन तथ्यों, सिद्धान्तो तथा आदर्शों का निरूपण किया है उसमें अधिकांश गाँधी दर्शन के तत्व हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा बंधुता सम्बधी धारणाऐं ग्राम स्वराज्य के मूल तत्व हैं। अतः संविधान की प्रस्तावना ग्राम–स्वराज हेतु एक घोषणा प्रतीत होती है।[4]

भारतीय संविधान के भाग–3 के मूल अधिकारों पर भी गाँधी दर्शन का प्रभाव है। अनु0–15 में राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार कोई विभेद नही करेगा। अनु0–17 में अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। इस प्रकार समस्त मूल अधिकार गाँधी दर्शन के तत्व प्रतीत होते हैं और मूल अधिकारों की संरचना ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए किया गया प्रयास मालूम पड़ता है। मूल अधिकार तथा स्वराज्य दोनो का ध्येय स्वतंत्रता है हालॉकि औपचारिक रूप में भारतीय संविधान के मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गये हैं। परन्तु मूल अधिकार तथा स्वराज दोनो ही स्वशासन की दृष्टि से निर्मित हैं।[5]

संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 38 से 51 तक वर्णित नीति निदेशक तत्वों में गाँधीवादी तत्व इस प्रकार हैं–

1. स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतो का गठन (अनुच्छेद–40)
2. औषद्यीय प्रयोजन के अतिरिक्त मद्य निषेद्य (अनुच्छेद–47)
3. कुटीर उद्योगो का विकास (अनुच्छेद–43)
4. कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से संगठित करना (अनुच्छेद–48)
5. पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा (अनुच्छेद–48क)

इस प्रकार इन तत्वों के अलावा भी समस्त निदेशक तत्व ऐसे नैतिक नियम है जो कानूनी शक्ति नहीं रहने पर भी आदर्श समाज के निर्माण मे मार्गदर्शन प्रदान करते है। औपचारिक रूप मे नीति निदेशक तत्व आयरलैण्ड से लिये गये है लेकिन इनका आधार भारतीय दर्शन है। नीति निदेशक तत्वो मे गाँधी तत्वो की प्रधानता है इसलिये यह कहना न्यायसंगत होगा कि नीति निदेशक तत्व ग्राम स्वराज के लिये किया गया सैद्धान्तिक कार्य है।[6]

संविधान के भाग 4(क) में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ये मूल कर्तव्य ही गाँधी दर्शन के स्वदेशी, स्वावलम्बन और सहयोग की धारणा के मूल विचार हैं। स्वर्ण सिंह समिति के अध्ययन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4(क) जोड़कर मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश किया गया है उनका ध्येय आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना है।[7] गाँधी द्वारा बतलाये गये नैतिक दायित्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, सेवा, भलाई आदि मूल कर्तव्यों का आधार है।

ब्रिटिश काल में जब भारतीय नेताओं ने स्थानीय स्वशासन की माँग की तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे निचले स्तर पर स्वशासन की शक्तियाँ देना प्रारम्भ किया। ये स्तर थे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और नगर क्षेत्र में नगरपालिका। बंगाल स्थानीय स्वशासन एक्ट 1885, बंगाल ग्रामीण स्वशासन एक्ट 1919, बंगाल नगरपालिका एक्ट 1884, के विकास क्रम में 1949 के संविधान के अनुच्छेद 40 में स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतो के गठन पर बल दिया गया। इन विचारों को साकार करने के लिये 73वाँ संशोधन और 74वाँ संशोधन 1992 किये गये। इनके द्वारा संविधान में भाग 9 और 9(क) जोड़े गये। भाग– 9 पंचायतो के विषय में

है और भाग 9(क) नगरपालिकाओं के बारे मे है। संविधान में निहित यह समस्त कार्य स्थानीय स्वशासन में सरंचनात्मक परिवर्तन लाने तथा जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया।[8] अतः संवैधानिक पंचायती राज ग्राम स्वराज्य की संकल्पना का क्रियान्वयन है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम स्वराज हेतु किये गये प्रयास

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समग्र विकास के दृष्टिकोण से 1952 में जब पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की तब कुछ समय बाद उन्हें लगा कि जन सहभागिता तथा जन सहयोग के बिना कुछ होने वाला नहीं है। पंडित नेहरू ने ग्रामीण जनता के सामाजिक व आर्थिक जीवन में उनके अपने परिश्रम व प्रयास से व्यापक परिवर्तन करने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। 1957 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू ने तलस्तरीय आयोजना तथा स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पंचायती आयोग गठित किया गया। इस आयोग की सिफारिश के अनुरूप लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा विकास कार्यक्रम में जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज का प्रारम्भ किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। सन 1992 का 73वाँ संविधान संशोधन जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने का प्रयत्न है।[9] संवैधानिक पंचायत राज से गाँधी के ग्राम स्वराज से जुडी पंचायत राज की संकल्पना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से विस्तार से चर्चा सर्वप्रथम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में डी0 आर0 गाडगिल ने की। तब से भारत में योजनाऐं तीन स्तरों राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर बनती हैं। चौथी योजना में कृषि, औद्योगिक क्रियाओं तथा व्यवस्थाओं का विकेन्द्रीकरण किया गया। पांचवी योजना में गरीबी मिटाओ का नारा देकर स्वावलम्बी भारत की परिकल्पना की गई। छठी योजना विकास के गाँधी मॉडल पर आधारित थी। इसका मूल आधार स्वदेशी, श्रमप्रधान, तकनीकी पर आधारित उद्योग, सम्पति के स्वामित्व का विस्तार, विकेन्द्रीकरण आदि थे। इस योजना में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया गया।[10] सातवीं योजना में विकास का उद्देश्य सामाजिक न्यायपूर्ण संवृद्धि, गरीबी का निदान, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करना थे।[11] आठवीं योजना में विकेन्द्रीकृत नियोजन का दृष्टिकोण अपनाकर जिला व विकासखण्ड स्तर पर योजना का निर्माण किया गया। योजना के तहत जिला, विकासखण्ड, ग्राम स्तर पर अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की गई। सरकार ने इन स्तरों पर पर्याप्त संसाधन, तकनीकी, प्रबन्धकीय सुविधाऐं और निर्णय लेने के अधिकार देने की आवश्यक्ता पर बल दिया। योजना प्रक्रिया में निचले स्तर पर जनसहभागिता बढ़ाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओ एवं अन्य जन संगठनो की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। नियोजन के इस नये दृष्टिकोण में यह व्यवस्था की गई कि योजना आयोग तथा राज्य की योजना आयोग संस्थाओं के सहयोग से योजना निर्माण में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाया जाए।[12] अनुच्छेद 40 तथा 73वें व 74वें संविधान संशोधन से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। इन प्रावधानों से यह प्रयास किया गया कि पंचायत राज स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रित राजनीतिक व्यवस्था का आधार बन सके। भारत संघात्मक राज्य है। संघात्मक राज्य में सत्ता का विकेन्द्रीकरण और राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का संविधान में उल्लेख किया है।[13]

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम स्वराज की दिशा में चुनौतियाँ

स्वशासन की दिशा में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रयास किये गये उनकी सफलता में पाँच मुख्य चुनौतियाँ हैं–

1. स्वतंत्रता के बाद भी नौकरशाही स्वयं को लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप नही बना सकी। इसके फलस्वरूप अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है जिससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. राज्य स्तर पर नेतृत्व तथा स्थानीय नेतृत्व में सत्ता को लेकर प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। स्थानीय नेतृत्व जनता के निकट रहने के कारण उच्च नेतृत्व को चुनौती पेश करता है। जिससे राजनैतिक विकेन्द्रीकरण को क्षति पहुँचती है और शासन में केन्द्रीकरण की प्रवृति जोर पकड़ती है।
3. आर्थिक व राजनैतिक केन्द्रीकरण होने से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई जिससे स्थानीय स्वशासन की संस्थाऐं कमजोर हो गई है। स्थानीय संस्थाओं का आर्थिक स्रोत मुख्यतः केन्द्र है। इसलिए स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर आय के स्रोत उत्पन्न करने होंगे।
4. भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृति तेजी से बढ़ने लगी है। केन्द्र द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं पर विश्वास नही किया जाता जिससे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी संस्थाओं का निर्माण सम्भव नही हो सका है।
5. लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता और दृढ़ता के लिये जनता को जागरूक करना आवश्यक है। स्थानीय नेतृत्व में ठेकेदारों, ऊँची जातियों के समृद्ध किसानो व दबंगों का प्रभाव बढ़ा है। स्थानीय सरकार व विकास में गरीब, भूमिहीन, श्रमिक, दस्तकार और स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाना हमारी व्यवस्था की महत्वपूर्ण चुनौती है।

गाँधी के सपनो का भारत ग्राम–स्वराज पर आधारित रहा है। ग्राम–स्वराज की व्यवस्था में अहिंसा का भाव निहित है। परन्तु वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। ये चुनौतियां हमारे व्यक्तिगत, संस्थागत एवं राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित कर रही हैं। भारत में ग्राम–स्वराज की स्थापना में निम्नलिखित आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक समस्याऐं आ रही हैं–

1. आर्थिक क्षेत्र की समस्याऐं

- देश में पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद गरीबी बढ़ती जा रही है।
- हर पंचवर्षीय योजना के बाद बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है।
- भारत में किसानों के उत्पादन का उचित दाम नहीं मिलता है।
- गाँव व शहर के मध्य विषमता घटने के बजाय बढ़ रही है। शहरीकरण से उजड़ते जा रहे हैं।
- गलत आर्थिक विकाश नीति के कारण पर्यावरण तथा जैव विविधता पर संकट बढ़ रहा है।
- महँगाई लगातार बढ़ रही है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अभाव में वर्तमान अर्थव्यवस्था में हिंसक व परिग्रह की प्रवृतियाँ बढ़ रही हैं।
- नैतिक अनुशासन तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरण के अभाव में आमजनों का आर्थिक शोषण बढ़ रहा है।[14]

2. राजनीतिक क्षेत्र की समस्याऐं

- आज कानून और व्यवस्था कमजोर हो रही है।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संस्थाऐं केन्द्रीय प्रवृत्ति की ओर बढ़ती जा रही हैं।
- चुनाव हिंसा तथा धनबल पर आधारित हो गया है।
- राजनीति में अपराधियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है।
- आतंकवाद से नागरिक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद पुष्ट हो रहा है। पंजाब, कश्मीर और बोडोलैण्ड इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।
- शान्ति और समृद्धि के विपरीत युद्ध और हिंसा का खतरा बढ़ा है।
- राजनैतिक दलों पर नागरिकों का विश्वास कम होता जा रहा है।
- राजनीति में साम्प्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद व अपराधीकरण की समस्याऐं बढ़ रही हैं।[15]

3. सामाजिक क्षेत्र की समस्याऐं

- शिक्षा व गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि एक विकराल समस्या बनकर उभरी है।

- कुछ लोग सांस्कृतिक टकराहट उत्पन्न करने में लगे हैं।
- समाज में जागरूकता की कमी के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है।
- संकुचित सम्प्रदायवाद तथा धर्मान्धता बढ़ रही है।
- गाँव व नगरों में सेवा, प्रेम, सद्भाव व सहयोग की भावना कमजोर हो गई है।
- दहेज प्रथा, हिंसा तथा आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
- मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की अवहेलना की जा रही है और अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ रहा है।
- स्वदेशी की भावना क्षीण हो रही है।[16]

4. नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की समस्याऐं

- हमारे जीवन से धर्म एवं ईश्वर में आस्था गायब हो रही है।
- सर्वधर्म समभाव की भावना क्षीण हो रही है।
- आज का मानव केवल भौतिक प्रगति पर ध्यान दे रहा है आध्यात्मिक प्रगति पर नहीं।
- व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है।[17]

निष्कर्ष–

वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम–स्वराज हेतु जो चुनौतियाँ हैं उनके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

1. अज्ञानता, अशिक्षा और बेरोजगारी।
2. सर्वधर्म समभाव का अभाव होना अर्थात अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को हेय समझना।
3. सत्ता में येनकेन प्रकारेण बने रहने की प्रवृति।
4. सत्ता प्राप्ति के लिये अनुचित साधनों का प्रयोग करना।
5. धन का परिग्रह करना।
6. धन को साध्य स्वीकार करना।
7. राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चरित्र का अभाव।
8. शारीरिक श्रम की अवहेलना।
9. सयुंक्त परिवार की भावना की कमी।

सन्दर्भ–सूची

1. गाँधी; ग्राम स्वराज्य, संग्राहक–हरिप्रसाद व्यास नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद 2014 पृष्ठ–5, 11, 14, 20
2. गाँधी; हिन्द स्वराज्य, अनुवादक–ठाकोरदास नानावटी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ–20
3. वसु, दुर्गादास; भारत का संविधान एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, 2002, पृष्ठ– 20,
4. वही, पृष्ठ–20, 21
5. वही, सारणी –5, पृष्ठ–462
6. वही,सारणी–6,पृष्ठ–463
7. वही, सारणी –7, पृष्ठ–464
8. वही, पृष्ठ–275
9. जोशी, आर0 पी0 व मंगलानी, रूपा; पंचायती राज के नवीन आयाम (राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन), युनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा0)लि0 जयपुर, 2007, पृष्ठ–28, 29
10. बेन्निजार, अनीता; ट्रेनिंग एट स्टेट एण्ड लोवर लेबलेस फॉर इनप्रोवड डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–371
11. पत्रिका कुरूक्षेत्र, फरवरी 1989, पृष्ठ–24

12. मुकर्जी, प्रणव; पार्टिसिपेट्री प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1993 ,पृष्ठ–168,69
13. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 तथा 73वाँ व 74वाँ संशोधन
14. जैन, सुमन; गांधी विचार और साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ–149
15. वही, पृष्ठ –150
16. वही, पृष्ठ –150
17. वही, पृष्ठ –150, 151

LBP PUBLICATION